

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा / माध्य / सीएसआर / 17-18

दिनांक - 16.03.2018

समस्त उपनिदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा(प्रथम / द्वितीय)

विषय :- राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग हेतु नवीन दिशा-निर्देश

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अतिक्रमण में उप-शासन सचिव राजस्थान सरकार शिक्षा(ग्रुप-6)विभाग के आदेश क्रमांक पं.17(11)शिक्षा-6 / 2010/पार्ट्डिनांक 13.03.2018 के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश संलग्न के अनुसार जारी किये जाते हैं।

जिन प्रकरणों में पूर्व के दिशा-निर्देश अनुसार स्वीकृति जारी की जा चुकी है, उन में पूर्वानुसार ही कार्यवाही की जाएगी। जो प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है, उन में पूर्व/नवीन दिशा-निर्देशों में से किसी एक के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु विकल्प/सहमति संबंधित भामाशाहों/दानदाताओं से ली जाकर तदनुसार कार्यवाही की जावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(निधमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा / माध्य / सीएसआर / 17-18

दिनांक - 16.03.2018

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

01. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
03. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
04. उपायुक्त प्रथम रामाशिप जयपुर।
05. प्रभारी सीएसआर शिक्षा संकुल जयपुर।
06. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
07. रक्षित पत्रावली।


सहायक निदेशक(सीएसआर)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

राजस्थान—सरकार
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : पं.17(11)शिक्षा-6/2010/पार्ट

दिनांक : 13.03.2018

प्रेषिति :-

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर | 2. निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर |
| 3. राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर। | 4. आयुक्त,
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर। |

विषय :- राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों
द्वारा सहयोग हेतु नवीन दिशा—निर्देश।

—
महोदय,

राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा
सहयोग के संबंध में पूर्व में जारी दिशा—निर्देशों के अतिक्रमण में नवीन
दिशा—निर्देश संलग्न अनुसार जारी किये जाते हैं।

जिन प्रकरणों में पूर्व के दिशा—निर्देशानुसार स्वीकृति जारी की जा चुकी है,
उनमें पूर्वानुसार ही कार्यवाही की जावे। जो प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है,
उनमें पूर्व/नवीन दिशा—निर्देशों में से किसी एक के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु
विकल्प/सहमति संबंधित भामाशाहों/दानदाताओं से ली जाकर तदनुसार
कार्यवाही की जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

www.rajteachers.com

{

भवदीय,

२०३१३।१८
(घनश्याम लाल शर्मा)
उप शासन सचिव



राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग

विद्यालय के भामाशाह योजना

Vidyalya ke Bhamashah Yojana

(With Reference to Corporate social Responsibility Concept)

www.rajteachers.com

शतहस्त्र समाहर सहस्रहस्त्र संकिर।

(सैकड़ों हाथों से इकड़ा करो और हजारों हाथों से दान करो।)

- अथर्वद (3/24/5)

दक्षिणावान प्रथमो हृत एति, दक्षिणावान ग्रामणीर ग्रमेति।

तमेव मन्ये जानानां यः प्रथमो दक्षिणा मन्विवाय॥।

(दानशील व्यक्ति प्रत्येक शुभ कार्य में रावप्रथम आमंत्रित किया जाता है, वह समाज में ग्रामणी (अर्थात् प्रमुख) होता है, अग्र स्थान पाता है। जो लोग सबसे पहले दक्षिणा देते हैं, वे जन-समाज के नृपति माने जाते हैं।) - अथर्वद (10/107/5)

३४

राजकीय विद्यालयों के विकास में दानदाताओं/भामाशाहों/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग बाबत नवीन दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

- 1.1 राजस्थान सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में विद्यालयी शिक्षा का उन्नयन करने हेतु बड़े पैमाने पर सुधारात्मक कार्य किए गए हैं जैसे— विद्यालय समन्वयन व सुदृढीकरण, राजकीय विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन एवं विद्यालय तथा शिक्षकों को प्रभावी सम्बलन प्रदान करने के लिए प्रशासनिक ढांचे का सुदृढीकरण।
- 1.2 विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कक्षा कक्षों, खेल मैदान, फर्नीचर एवं खेलकूद सामग्री, विद्युत एवं स्वच्छ पैयजल, शौचालय सुविधा व आईसीटी/कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर इन्हें सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स (Centre of Excellence) के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- 1.3 राजस्थान में स्कूल शिक्षा के ढांचागत एवं गुणवत्ता सुधार में केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय संसाधनों के अतिरिक्त दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालयों में विभिन्न प्रकार से गतिविधियां संचालित करायी जाती हैं। उनके द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/अक्षय पेटिका में सीधा आर्थिक योगदान कर अथवा इसकी सहमति के पश्चात स्वयं के रूप से कार्य करवाये जाते हैं।
- 1.4 Corporate Social Responsibility (CSR), दानदाताओं एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक प. 4 (7) शिक्षा-1/2014 दिनांक 11-07-2017 के द्वारा ऑनलाईन प्लेटफार्म ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।
- 1.5 दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालय में किये गये कार्य व योगदान के लिए प्रतिवर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के अवसर पर सम्मानित किये जाने का प्रावधान है। भामाशाहों/दानदाताओं से सहयोग प्राप्त करने एवं उनके सम्मान हेतु अनेक दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किये गये हैं। अतः पूर्व में जारी सभी दिशा-निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए समस्त राजकीय विद्यालयों, राजकीय आवासीय विद्यालयों एवं राजकीय छात्रायासों को प्रदत्त सहयोग के सम्बन्ध में निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं—



2. विद्यालयों में दानदाता/भासाशाह/औद्योगिक संस्थानों के सहयोग से विकास कार्य करवाने हेतु प्रक्रिया
- 2.1 विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से
- 2.1.1 दानदाता/भासाशाह/औद्योगिक संस्थान सीधे ही विद्यालय में विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति की सहमति से विद्यालय में आधारभूत संरचना एवं गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य एवं आर्थिक योगदान विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के खाते में कर सकते हैं। कार्य का कियान्वयन सम्बन्धित दानदाता/भासाशाह/औद्योगिक संस्थान स्वयं अथवा चयनित संस्था अथवा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से करवाया जा सकता है।
- 2.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से
- 2.2.1 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 4 (7) शिक्षा-1/2014 दिनांक 11-07-2017 द्वारा राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु Corporate Social Responsibility के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जनसमुदाय से सहयोग प्राप्त करने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।
- 2.2.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल/मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से सहयोग हेतु निम्नलिखित पांच श्रेणियों हैं:-
- पोर्टल पर प्रदर्शित प्रोजेक्ट हेतु सहयोग।
 - दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा स्वयं का प्रोजेक्ट बनाकर सहयोग।
 - विद्यालय को गोद लेना।
 - विद्यालय विशेष को सहयोग राशि प्रदान करना।
 - मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वित्तीय योगदान करना।
- 2.2.3 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वित्तीय योगदान पर आयकर अधिनियम वी धारा 80जी के अन्तर्गत आयकर में छूट देय है। इस कोष का उपयोग राज्य सरकार द्वारा आदेश



क्रमांक— प. 4 (7) शिक्षा-1/2014 दिनांक 11-10-2017 से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु किया जाता है। (परिशिष्ट-1)

3. भासाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों के लिए प्रोत्साहन

- 3.1 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार भासाशाह/दानदाताओं/औद्योगिकी संस्थानों द्वारा विद्यालयों में कराये गये विकास कार्यों के लिए प्रोत्साहन परिशिष्ट-2 के अनुसार दिया जावेगा

4. भासाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों द्वारा दिये गये योगदान के आधार पर विद्यालयों के नामकरण हेतु मानदण्ड

- 4.1 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार केवल भासाशाह/व्यक्तिगत दानदाता द्वारा विद्यालय के विकास में किये गये योगदान के आधार पर बिन्दु संख्या-3 पर देय प्रोत्साहन के अतिरिक्त विद्यालयों का नामकरण किये जाने के निम्नानुसार मानदण्ड होंगे—

- i. प्राथमिक विद्यालय हेतु – 30 लाख रुपये से अधिक योगदान पर
- ii. उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु – 60 लाख रुपये से अधिक योगदान पर
- iii. माध्यमिक विद्यालय हेतु – 150 लाख रुपये से अधिक योगदान पर
- iv. उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु – 200 लाख रुपये से अधिक योगदान पर

- 4.2 बिन्दु संख्या- 4.1 पर निर्धारित मानदण्ड की समीक्षा प्रत्येक दो वर्ष में की जावेगी।

- 4.3 विद्यालय के नाम के पूर्व में केवल भासाशाह/व्यक्तिगत दानदाता का स्वयं का नाम अथवा उसके द्वारा निर्धारित नाम अंकित किया जावेगा। उदाहरण स्वरूप— श्रीमती कौशल्या देवी द्वारा बिन्दु संख्या 4.1 के अनुसार राशि का कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुर में कराये जाने पर विद्यालय का नामकरण श्रीमती कौशल्या देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर किया जावेगा। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय के नाम से राजकीय शब्द नहीं हटाया जावेगा।

- 4.4 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा नामकरण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जावेगा एवं नामकरण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की जावेगी।

- 4.5 बिन्दु संख्या 4.1 पर वर्णित राशि विद्यालय के विकास हेतु व्यय की जावेगी, इसमें भूमि की कीमत शामिल नहीं होगी। परन्तु बिन्दु संख्या-3 पर वर्णित अन्य प्रोत्साहनों की गणना हेतु भूमि की कीमत भी सम्मिलित होगी।
- 4.6 वस्तु रूप में प्राप्त सहयोग की स्थिति में लागत मूल्य का निर्धारण वस्तु के वास्तविक बिल की प्रमाणित प्रति संस्था प्रधान को उपलब्ध कराने पर एवं निर्माण की स्थिति में कार्य प्रारंभ के समय लागत अनुमान के आधार पर अंतिम कार्य राशि का एसडीएमसी से प्रमाणिकरण उपरान्त निर्धारित की जाएगी।

4.7 नामकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- 4.7.1 विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से विद्यालय में किये गये कार्यों के मामले में संबंधित विद्यालय की विद्यालय प्रबन्धन व विकास समिति/विद्यालय विकास समिति के अनुमोदन उपरान्त प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा को भिजवाया जाएगा।
- 4.7.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से किये गये कार्य के मामले में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-
- ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय विशेष हेतु Create A CSR Project श्रेणी में भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा विद्यालय में स्वयं द्वारा कार्य करयाने की स्थिति में कार्य पूर्णता पश्चात् तथा जहां कार्यकारी संस्था विभाग को बनाया गया हो उस पूर्ण लागत राशि हस्तान्तरित होने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में गठित सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्ताव राज्य स्तरीय रक्कीनिंग कमेटी से अनुमोदन पश्चात् संबंधित निदेशक (प्रारंभिक / माध्यमिक) को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जावेगा।
 - ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय विशेष हेतु Donate to A School श्रेणी में भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान सहयोग राशि हस्तान्तरित होने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में गठित सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्ताव राज्य स्तरीय रक्कीनिंग कमेटी से अनुमोदन पश्चात् संबंधित निदेशक (प्रारंभिक / माध्यमिक) को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जावेगा।
 - वस्तु के रूप में प्राप्त सहयोग की स्थिति में लागत मूल्य का निर्धारण वस्तु के वास्तविक बिल की प्रमाणित प्रति के आधार पर एवं निर्माण की स्थिति में कार्य प्रारंभ के समय लागत अनुमान के आधार पर अंतिम कार्य राशि का निर्धारण



जिला संवीक्षा समिति द्वारा किया जाकर राज्य संयोक्ता समिति को भिजवाया जायेगा।

- jv. पोर्टल के माध्यम से Adopt A School श्रेणी के अन्तर्गत गोद लिये जाने पर-
- विद्यालय पर कुल अनावर्ती व्यय बिन्दु संख्या- 4.1 के अनुसार होने की स्थिति में भी तदनुरूप नामकरण किया जा सकेगा।
 - विद्यालय पर कुल अनावर्ती व्यय बिन्दु संख्या- 4.1 में प्रावधित राशि से कम होने पर विद्यालय के नाम के साथ तीन वर्ष हेतु संक्षिप्त में दिनांक एवं सत्र सहित यह लिखा जा सकेगा कि यह विद्यालय तीन वर्ष के लिए उक्त भाषाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा गोद लिया गया है।

उदाहरण के तौर पर –

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलासर बीकानेर

(यह विद्यालय एबीसी कम्पनी द्वारा तीन वर्ष के लिए गोद लिया गया है)

सत्र 2017–18 से 2019–20 तक

दिनांक 01.07.2017 से 01.07.2020

5. राज्य स्तरीय भाषाशाह सम्मान समारोह का आयोजन

- 5.1 राजकीय विद्यालयों/ राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए भाषाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को बिन्दु संख्या-3 के प्रावधानों के अनुसार सम्मानित किये जाने हेतु प्रति वर्ष 28 जून को भाषाशाह जयन्ती के अवसर पर राज्य स्तर भाषाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जायेगा।
- 5.2 राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय भाषाशाह सम्मान समारोह हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर नोडल अधिकारी होंगे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पूर्व की भाँति राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
- 5.3 मुख्यमंत्री जनराहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-3 के प्रावधानों के अनुरूप दिये गये योगदान भी इस श्रेणी हेतु पात्र होंगे।

6. जिला स्तरीय भाषाशाह सम्मान समारोह का आयोजन

- 6.1 राजकीय विद्यालयों/ राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए भाषाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को बिन्दु संख्या-3 के प्रावधानों के अनुसार सम्मानित किये जाने हेतु प्रति वर्ष 28 जून को भाषाशाह जयन्ती

के अवसर पर प्रत्येक जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जावेगा।

6.2 मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-३ के प्रावधानों के अनुरूप दिये गये योगदान भी इस श्रेणी हेतु पात्र होंगे।

6.3 समस्त जिलों में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित कराने के लिए निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर नोडल अधिकारी होंगे। जिला स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा- प्रथम नोडल अधिकारी होंगे। प्रशासनिक सुधार (अनु.-३) विभाग के आदेश क्रमांक प.६ (१८) प्र.सु./अनु.३/२०१६ दिनांक ३०-०३-२०१६ द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा सलाहकार समिति (परिशिष्ट-३) कार्यक्रम हेतु आयोजन एवं चयन समिति के रूप में कार्य करेगी।

6.4 जिला स्तरीय सम्मान समारोह में जिले के जनप्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमन्त्रित किया जावेगा।

7. भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को राजकीय विद्यालयों में सहयोग हेतु प्रेरित करने वालों के लिए प्रोत्साहन

7.1 प्रत्येक वित्तीय वर्ष (०१ अप्रैल से ३१ मार्च) की अवधि में किसी राजकीय विद्यालय को सहयोग हेतु एक या एक से अधिक भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में “शाला प्रेरक” की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।

7.2 दान एवं सहयोग राशि के लिए किसी एक विद्यालय को एक इकाई माना जायेगा।

7.3 तीस लाख रुपये या इससे अधिक धन राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जावेगा।

7.4 पांच लाख एवं अधिक तथा तीस लाख रुपये से कम की राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जावेगा।

7.5 भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा संबंधित शाला प्रधान (प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य) को लिखित में अवगत करवाये जाने पर कि उनके द्वारा प्रदल योगदान हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति का विवरण लिखित में सम्बन्धित संस्था प्रधान को उपलब्ध करवा जाने पर संस्था प्रधान द्वारा तथ्य की पुष्टि स्वयं के रत्तर पर



की जाएगी तथा सही पाए जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को शाला प्रेरक हेतु निर्धारित आवेदन—पत्र में सम्मानित किए जाने हेतु प्रेरक के नाम की अभिशंषा की जाएगी।

- 7.5.1 राज्य स्तर सम्मानित होने वाले प्रेरकों के आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मण्डल उप निदेशक को एवं उप निदेशक, निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा को उचित माध्यम द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्ताव समेकित रूप से तैयार कर भेजेंगे, जिसके साथ चयनित शाला प्रेरक के आवेदन पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न कर प्रेषित करेंगे।
- 7.5.2 जिला स्तर सम्मानित होने वाले प्रेरकों के आवेदन पत्र सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा पर जिला स्कूल सलाहकार समिति (चयन समिति) को भेजेंगे।

श्री

राजस्थान सरकार
शिक्षा (युप-१) विभाग

क्रमांक प: ४(७)शिक्षा-१/२०१४

जायपुर, दिनांक : ११.१०.१७

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान
जयपुर।

आयुक्त,
सर्व शिक्षा अभियान,
जयपुर।

✓ निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय :- मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के उपयोग हेतु विकास-निर्देश।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि Corporate Social Responsibility (CSR) एवं अन्य माध्यमों से उपलब्ध फण्ड का बेहतर उपयोग राज्य सरकार की प्राथमिकता की योजनाओं में सुनिश्चित किये जाने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक : प. ४(७) शिक्षा-१/२०१४ दिनांक ११.०७.२०१७ द्वासा औनलाइन प्लेटफार्म ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।

मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में संग्रहित संशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं (प्रति संलग्न)। तदनुसार मुख्यमंत्री विद्यादान कोष का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे;
संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आ.एस. शालानी)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय भुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, यित विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं मन्त्रिगण्डल, सचिवालय।
6. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोगना)।
7. घरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (युप-५)।
8. शासन उप सचिव, शिक्षा (युप-२, ६) दिभाग।
9. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान।
10. रक्षित पत्रावली।

(बी.के. गुप्ता)
प्रशिक्षाधिकारी-शिक्षा

मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के उपयोग हेतु विशा-निर्देश

१. प्रस्तावना

- १.१ विद्यालयों के एकीकरण एवं जननवयन के कलहरालय राज्य के ६३१३ उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों में से अधिकांश विद्यालयों में प्राथमिक क्षेत्र-संचालित है।
- १.२ राजस्थान में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक की द्वाजीशन दर केवल ४८ प्रतिशत थी। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में कक्ष १२ तक की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ५३०० माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में कर्मचारी किया गया।
- १.३ उपरोक्त शार्कराओं में शिक्षा कुल १३५६२ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से १३३०१ विद्यालय कक्ष १ से १०/१२ के छोटे गए हैं (जिसमें से ७५४३ विद्यालय कक्ष १ से १२ एवं ३७६९ फला १ से १० विद्यालय)।
- १.४ राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय को आवश्यकता एवं एक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना विशालादित की जा रही है। इस प्रकार ५४४५ विद्यालयों को आदर्श य ९६३१ विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित किया जायेगा। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को विकास इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- १.५ समस्त राज्यकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु लगभग ५००० करोड रुपये की आवधारकर्ता द्वारा। इस राशि की पूर्ति हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, जनसहयोग एवं Corporate Social Responsibility (CSR) के अन्तर्गत अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के सहतः प्रयास किये जा रहे हैं। गत वर्ष जनसहयोग य सीएसआर के अन्तर्गत १०० करोड रुपये से अधिक व्यन्यायिक विद्यालयों को प्राप्त हुई है।
- १.६ Corporate Social Responsibility (CSR) एवं उच्च माध्यमिक से उपलब्ध कक्ष का बेहतर उपयोग राज्य सरकार द्वारा प्राप्तिकरण की योजनाओं में सुनिश्चित किये जाने हेतु स्कूल शिक्षा विकास वारा पत्र कानूनक प. ४ (७) विधा-१/२०१४ दिनांक ११-०७-२०१७ के द्वारा ऑफिलाईन स्लेटफार्म ज्ञान संकलन पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।
- १.७ मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं विद्या की गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्य करवाये जायेंगे।
- १.८ मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के विकास एवं प्रबन्धन हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर नगर एजेन्सी का कार्य करेगी।
- १.९ ज्ञान संकलन पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में राशि अन्त लाइन जमा कराई जा सकती है; मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में जमा कराई गई राशि के लिए आयकर अधिनियम की धारा ६० जी के अन्तर्गत छूट का प्रायोगन है।

२. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के सददेश्य

- २.१ 'एज्यूकेशन विज्ञान २०२०' के उददेश्यों की प्राप्ति हेतु जनसहयोग सुनिश्चित किया जाना।
- २.२ काउन फँडिंग के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में निर्धारित बानदण्डों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं का विकास कर Centre of Excellence के रूप में विकसित करना।
- २.३ राजकीय विद्यालयों के विकास में जनसमुदाय की मृहद स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित रखना।

३. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशि से अनुमत कार्य

- ३.१ मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशि से अनुमत कार्यों की सूची परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।
- ३.२ परिशिष्ट 'क' में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त कार्य राज्य सरकार से विशेष अनुमति प्राप्त कर करवाये जा सकते।

मुख्यमंत्री

- 4. मुख्यमंत्री विद्यालय कोष से कार्यों की स्वीकृति**
- 4.1 कोष में प्राप्त राशि का उपयोग प्राचीन एवं राजसी दोङ के समस्त राजदर्ओष विद्यालयों हेतु किया जा सकेगा। कोष में उपलब्ध राशि का उपयोग प्रारंभिक रिक्ति के आधार पर यथो सभ्य राजान के संस्कृती शिलों में कार्य हेतु आवंटन करने का प्रयास किया जायेगा।
- 4.2 राजस्थान भाष्यमिक शिक्षा परिषद्/भाष्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् एवं जिला स्तरीय निष्पादक समितियों से मुख्यमंत्री विद्यालय कोष में प्राप्त राशि से स्वीकृत हेतु प्रस्ताव प्राप्त करेगी।
- 4.3 राज्य संरक्षण के पश्च क्रमांक ४.५ (१) विधा-१/२०१४ दिनांक ११-०७-२०१७ द्वारा गठित समय स्तरीय स्वीकृति समिति प्राप्त परियोजनाओं की उपयोगिता का अंकलन कर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राजस्थान सार्वजनिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।
- 4.4 राज्य उपचाटन समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के फियान्वयन हेतु स्थूलों के तापों का निर्विण के प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए राज्य संस्कार को प्रस्तुत किये जानेंगे।
- 4.5 आधिकर अधिविषयक गीधारा ८०जी के अन्तर्गत आयकर की घट विद्यालय के लिए प्राप्त राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में किया जाना अनिवार्य है। जल राज्य स्तरीय निष्पादक समिति मुख्यमंत्री विद्यालय कोष में स्वीकृति हेतु कुल उपलब्ध राशि के कार्य स्वीकृत कर सकती ताकि मुख्यमंत्री विद्यालय कोष में उपलब्ध राशि उसी वित्तीय वर्ष में जल प्रतिशत प्रदायेग हो सके।
- 4.6 राज्य निष्पादक समिति परियोजनाओं के अनुमोदन के पश्चात प्रत्येक परियोजना की प्रकृति के आधार पर समय सीमा व धनराशि का अपवाहन (Release of Installments) निर्धारित करेगी।
- 4.7 राज्य निष्पादक समिति के अनुमोदन के पश्चात राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान भाष्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के पश्चात परियोजना तकाल छान संकल्प पर्टिल पर प्रदर्शित की जायेगी।
- 4.8 मुख्यमंत्री विद्यालय कोष में प्राप्त राशि से कार्यों की स्वीकृति हेतु संस्कार भाष्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की वैठक माह में कम से कम एक बार आधिकर रूप से आयोजित की जायेगी।
- 4.9 विद्यालय कोष में प्राप्त राशि के समय पर उपयोग एवं स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूर्ण कराने की निष्पेदारी राजस्थान भाष्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक नियमिती की होगी।
- 4.10 राज्य संस्कार एवं राजस्थान भाष्यमिक शिक्षा परिषद् की शारीर परिवद नुख्यमंत्री विद्यालय कोष से परियोजना/कार्यों की स्वीकृति हेतु अवश्यक दिशा-निर्देश राज्य निष्पादक समिति/राजस्थान भाष्यमिक शिक्षा परिषद् को जारी कर सकेगी।

5. स्वीकृत कार्यों का कियान्वयन एवं परिवेश

- 5.1 मुख्यमंत्री विद्यालय कोष के अन्तर्गत भाष्यमिक शिक्षा एवं पाठ्यमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत परियोजनाओं/कार्यों का कियान्वयन राष्ट्रीय भाष्यमिक शिक्षा अभियान के मानदण्डनुसार राज्य स्तर पर राजस्थान भाष्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा, जिला स्तर पर जिला परियोजना रामबन्धक (रमसा) द्वारा एवं विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबन्धन एवं विकास समिति द्वारा कराया जावेगा।
- 5.2 मुख्यमंत्री विद्यालय कोष के अन्तर्गत प्राधिकर/स्वाधीन प्राधिकर विद्यालयों हेतु स्वीकृत परियोजनाओं/कार्यों का कियान्वयन सर्व शिक्षा अभियान के मानदण्डनुसार राज्य स्तर पर राजस्थान भाष्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा, जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक (एसएसए) द्वारा एवं विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा कराया जावेगा।
- 5.3 विदेश परिस्थितियों में राजस्थान भाष्यमिक शिक्षा परिषद् मुख्यमंत्री विद्यालय कोष के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं/कार्यों का निष्पादन अन्य कार्यकारी संस्था से करया सकेगी।
- 5.4 राज्य स्तर पर राजस्थान भाष्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति द्वारा मुख्यमंत्री विद्यालय कोष के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों/परियोजनाओं के कियान्वयन की सतत सफीला की जायेगी।

- 5.5 जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अधिकता में गठित जिला निष्पादक समिति द्वारा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अन्तर्गत स्थीकृत कार्यों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन की सतत समीक्षा की जावेगी।
- 5.6 जिला परियोजना समन्वयक रमसा एवं एसएसए द्वारा स्थीकृत कार्यों/परियोजनाओं नी प्रगति जान संकल्प पोर्टल पर लियार्मित रूप से अद्यतन की जावेगी।
- 5.7 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं राज्य निष्पादक समिति द्वारा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशि का उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।
- 5.8 जिला परियोजना समन्वयक, रमसा एवं एसएसए द्वारा कोष में प्राप्त राशि से क्रियान्वयन होने वाली समस्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

6. प्रशासनिक व्यय

- 6.1 कोष में प्राप्त कुल राशि का अधिकतम 3.5 प्रतिशत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक मद से व्यय किया जा सकेगा।
- 6.2 प्रशासनिक मद से जान संकल्प पोर्टल तथा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के प्रचार प्रसार के लिए भी राशि व्यय की जा सकेगी; गहराई बिन्दु संस्था 6.1 में वर्णित प्रशासनिक मद हेतु अनुमत राशि 3.5 प्रतिशत का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

7. धनराशि का अवमोदन

- 7.1 निर्माण कार्य (सिविल वर्क) से सम्बन्धित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर से जिलों को राशि दो किस्तों में जारी की जावेगी। परियोजना/कार्ड की लागत की 60 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में वित्तीय स्थीकृति के पश्चात जारी की जावेगी। द्वितीय किस्त की राशि प्रथम किस्त की राशि के 75 प्रतिशत के उपयोग के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात जारी की जावेगी।
- 7.2 अन्य परियोजनाओं/कार्यों हेतु कार्य की प्रकृति के अनुसार धनराशि का अवमोदन (Release of Instalments) का निर्धारण कार्य/परियोजना की स्थीकृति के समय राज्य स्तरीय निष्पादक समिति द्वारा किया जावेगा।

8. पूर्णता प्रमाण-पत्र

- 8.1 राजकीय कार्यकारी संस्था के द्वारा क्रियान्वयन की जाने वाली परियोजनाओं के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् से जारी दिशा-निर्देशों में दी गई व्यवस्था के अनुरूप जारी किये जायेंगे।

9. अभिलेख/परिसम्पतियों का ब्यौरा संधारण

- 9.1 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष राशि के द्वारा निर्मित अचल एवं चल परिसम्पतियों का स्वामित्य राज्य सरकार को होगा तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अभिलेख/परिसम्पतियों के ब्यौरे का संधारण किया जावेगा।
- 9.2 पूर्ण तथा प्रगतिरत परियोजनाओं का विवरण तथा उनसे सम्बन्धित छाया पित्र डान संकल्प पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाये जायेंगे।

10. अंकेक्षण

- 10.1 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के लेखे का अंकेक्षण सनदी लेखाकार के द्वारा नियमानुसार करपाया जायेगा।
- 10.2 प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन को जान संकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित किया जावेगा।

11. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में प्राप्त राशि एवं उपयोग का समस्त न्यौरा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की शावी परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा।

प्रविशिष्ट-क

मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के अन्तर्गत अनुमति कार्य

क्र.सं.	अनुमति कार्य
1.	ज्ञान संकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित वे परियोजनाएँ जिनके लिए ७५ मीलियल या अधिक राहिं दाचालातम्बी/संस्थासमें इत्यादि से ग्रांट भोग्य हो चुके हैं। शेष राहिं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष से (प्रति ईकाई गणना के अधार पर) उपलब्ध क्लाईं प्ला सकेंगी। आइटिट की जांच बाली रेज राहिं की गणना परियोजना की सम्पूर्ण लागत से न होकर अधिकतम एक ईकाई राहिं की पूर्ति के लिए की जाकेंगी।
2.	राजकीय विद्यालयों/छात्रामासों में निवारित नलदर्जों के जनुसार निवारित कार्य <ul style="list-style-type: none"> • शुद्ध पीने का पानी, दौबालय तथा पानी निकासी की व्यवस्था • कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य भव बराबदा, विद्युत यंत्र व फिलिंग एवं फर्नीचर • काम्प्यूटर कक्ष भव बराबदा व फर्नीचर एवं काम्प्यूटर व अन्य उपकरण • प्रयोगशाला कक्ष भव बराबदा एवं फर्नीचर व प्रयोगशाला उपकरण • पुस्तकालय कक्ष एवं पुस्तकों व फर्नीचर • विद्यालय की चार दिवारों का निर्माण • खेलकूद सुविधाओं का विकास भव खेल उपकरण • कार्यालय कक्ष/संस्था प्रधान कक्ष/बालिका गतिविधि कक्ष/कला व शिल्प कक्ष • विद्यालयों में मरम्मत कार्य हेतु • विद्यार्थियों हेतु फर्नीचर • स्टार्ट कलास रूम एवं खन्य सम्बन्धित उपकरण
3.	ज्ञान संकल्प पोर्टल पर प्रदर्शित अन्य परियोजनाएं
4.	शिक्षा के गुणात्मक विकास एवं शालिका शिक्षा को बढ़ाया देने हेतु अन्य कार्य

राजस्थान
परियोजना निदेशक
राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

DD-CSE
Q(13)7

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 4(1)शिक्षा-1 / 2014.

जयपुर, दिनांक : 11/07/2017

✓ राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

विषय राज्य के राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु कोरपोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जन समुदाय से सहयोग राशि प्राप्त करने के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) स्थापित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशन है कि राज्य के राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु कोरपोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जन समुदाय से सहयोग राशि प्राप्त करने के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) स्थापित करने की राज्य सरकार की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :—

1. राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :—

- (i) राजकीय विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं एवं प्राथमिकता के अनुसार सीएसआर राशि का संग्रहण व प्रबन्धन करना।
- (ii) राजकीय विद्यालयों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने के लिए दानदाताओं / भास्तवाहों / संस्थाओं व क्राउड फण्डिंग (Crowd Funding) के माध्यम से आवश्यक धनराशि प्राप्त करना।

2. राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के माध्यम से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परियोजनाओं के विकास हेतु परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निम्नानुसार व्यवस्था होगी :—

- (i) दानदाता / सीएसआर कम्पनी स्थान अपनी परियोजना / गतिविधि को क्रियान्वित कर सकता है।
- (ii) दानदाता / सीएसआर कम्पनी स्थान द्वारा विनिहित सेवा प्रदाता के माध्यम से परियोजना / गतिविधि का क्रियान्वयन कर सकती है।

- (iii) दानदाता/सीएसआर कम्पनी परियोजना/गतिविधि हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करदाकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद/राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के माध्यम से परियोजना क्रियान्वित कर सकती है।
- (iv) दानदाताओं द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में स्थापित एज्यूकेशन फंड में योगदान दिया जा सकता है, जिसका उपयोग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा राज्य सरकार की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विद्यालयों के विकास हेतु किया जावेगा। इस फंड में की गयी योगदान राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अन्तर्गत आयकर छूट प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा इस फंड में विदेशी स्नोतों से योगदान प्राप्त करने के लिये Foreign Contribution Regulation Act के तहत पंजीकरण करने का प्रयास किया जावेगा।
3. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के Memorandum of Association के अनुसार विद्यालयों के विकास हेतु प्राप्त होने वाले दान / धनराशि का प्रबंधन परिषद द्वारा किया जा सकता है। अतः राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के विकास एवं प्रबन्धन हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर नोडल एजेन्सी होगी।
4. राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के प्रबंधन एवं उपयोग हेतु निम्नानुसार व्यवस्था होगी :-
- (i) राज्य स्तर पर
- (a) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की शाखी परिषद जिसके शिक्षा मंत्री एवं मुख्य सचिव, उपाध्यक्ष तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर के राज्य परियोजना निदेशक सदस्य सचिव हैं, राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के संबंध में नीति निर्धारण, प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी।
 - (b) स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव की अध्यक्षता में गठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की राज्य स्तरीय निष्पादक समिति शाखी परिषद द्वारा निर्धारित नीति एवं क्रियान्वयन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के संचालन का कार्य करेगी।
 - (c) राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय संविक्षा समिति राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाने वाली परियोजनाओं तथा सीएसआर कम्पनीज एवं

दानदाताओं के द्वारा स्वनिर्भित परियोजनाओं की संवीक्षा (Screening) एवं अनुमोदन का कार्य करेगी। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :-

क्र.सं.	पदनाम	संवीक्षा समिति में पद
1	अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	उपाध्यक्ष
2	उपायुक्त (सीएसआर प्रकोष्ठ), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य सचिव
3	आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा नामित अधिकारी (उपायुक्त के समकक्ष)	सदस्य
4	नियन्त्रक वित्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
5	नियन्त्रक वित्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
6	प्रभारी (आंभियांत्रिकी शाखा), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
7	प्रभारी (आंभियांत्रिकी शाखा), राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
8	उप निदेशक (सीएसआर प्रकोष्ठ), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
9	उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य
10	उप निदेशक (शाला दर्शन प्रकोष्ठ), राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर	सदस्य

(ii) जिला स्तर पर

- (a) जिला कलबटर की अध्यक्षता में गठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की जिला स्तरीय निष्पादन समिति जिला स्तर पर मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।
- (b) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, रामाश्रित की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संवीक्षा समिति (Screening Committee) राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल पर जिला स्तर पर प्रदर्शित किए जाने वाली परियोजनाओं की पहचान कर राज्य स्तर पर गठित Screening कमेटी को अनुमोदन हेतु अनुशंशा करेगी। जिला स्तरीय संवीक्षा समिति में निम्न सदस्य होंगे :-

क्र.सं.	पदनाम	संवेद्धा समिति में पद
1	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सांस्कृतिक माध्यमिक शिक्षा अभियान	सदस्य सचिव
2	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
3	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य
4	लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय	सदस्य
5	प्रभारी (अधियांत्रिकी शाखा), कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	सदस्य
6	प्रभारी (अभियांत्रिकी शाखा), कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान	सदस्य

(iii) विद्यालय स्तर पर

(a) विद्यालय दिकास एवं प्रबन्धन समिति/ विद्यालय प्रबन्ध समिति, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद/ राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के माध्यम से कियान्वित ही जाने वाली परियोजनाओं के विद्यालय स्तर पर निष्पादन के लिए कार्यकारी संस्था होगी एवं निम्न प्रकार से उत्तरदायी होंगी :-

- राशि प्राप्त करना तथा निर्धारित समय सीमा में उपयोग करना।
- निर्धारित मानदण्डानुसार परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
- परियोजना क्रियान्वयन प्रगति से अपग्रेड करवाना व परियोजना समाप्ति पर अन्तिम उपयोगिता प्रमाण पत्र / पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

5. उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जारी की जाती है :-

(i) एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के लिए पृथक से खाते का संधारण किया जायेगा तथा ग्रात्येक वित्तीय वर्ष में ऑफिट करवाई जायेगी। प्रशासनिक विभाग द्वारा इस फण्ड में प्राप्त राशि एवं व्यय राशि की सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करवाई जायेगी।

(ii) राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार/ अन्य किसी योजना जैसे मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजनात्तर्गत प्राप्त सहायता / डोनेशन को इन एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) में किसी भी रूप में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(iii) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा थर्टमान

में स्वीकृत स्टॉफ स्ट्रेंथ में से सैएसआर गतिविधियों के पर्यवेक्षण एवं संचालन हेतु

पृथक से सीएसआर प्रकोष्ठ का गठन शिक्षा संकुल में किया जा चुका है। इस सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा ही राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) से संबंधित कार्य सम्बादित किया जावेगा। अतः वित्तीय विभाग से इस हेतु अतिरिक्त पदों की रखीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

- (iv) राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) के संचालन से सम्बन्धित सभी वैधानिक अनुमति (Statutory Permissions) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा समक्ष प्राविकरण से प्राप्त की जायेगी।
- (v) राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) में प्राप्त राशि के स्रोत की पूर्ण जानकारी का संधारण किया जायेगा।
- (vi) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) में प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग हेतु जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश सक्रम स्तर से अनुमोदन प्रस्त्रात जारी किये जायेंगे।

८०
 (अशफाक हुसैन)
 विशिष्ट शासन सचिव
 स्कूल शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि निष्ठाकृत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग (सीएसआर) विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं पंत्रिमण्डल सचिवालय को पंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक : डी/100/म.स./2017 जयपुर, दिनांक 11.07.2017 के क्रम में।
8. मन्त्रियत शासन सचिव, प्रा.शि. (आयोजना)
9. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5)
10. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2, 6)
11. आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, विभाग।
13. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, विभाग।
14. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा / रार्ट शिक्षा अभियान।
15. रक्षित पत्रावली।

भासाशाह/दानदाताओं/औद्योगिकी संस्थानों द्वारा विद्यालयों में कराये गये विकास कार्यों के लिए प्रोत्साहन

क्र. सं.	सहयोग का स्तर/ कार्य या वस्तु लागत	प्रोत्साहन का विवरण	प्राक्रेया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	शिक्षा मित्र 5000 रुपये से 25 हजार रुपये	विद्यालय में सहज दृश्य स्थान पर विभिन्न दानदाता/ भासाशाह/ औद्योगिक संस्थानों से प्राप्त सहयोग प्रदर्शित करने वाली पटिटका (भासाशाह बोर्ड) संरथा प्रधान द्वारा लगाई जावेगी।	माह में कम से कम एक बार उक्त बोर्ड को अद्यतन किया जाएगा एवं उस दिनांक तक प्राप्त सहयोग राशि व दानदाता का विवरण अंकित किया जावेगा।	
2	शिक्षा साथी 25 हजार रुपये या अधिक राशि (किसी सम्पूर्ण कार्य अथवा वस्तु विशेष हेतु) या लागत मूल्य कार्य /वस्तु से 1 लाख रुपये तक	<ul style="list-style-type: none"> • क.सं.-1 की श्रेणी को देय प्रोत्साहन • सहयोग से प्राप्त वस्तु/ निर्मित कार्य पर दानदाता/ भासाशाह/ औद्योगिक संस्थान का नाम व लोगो (यदि कोई हो तो) 	<ul style="list-style-type: none"> • क.सं.-1 की श्रेणी के अनुसार • वस्तु या राशि प्राप्त होने/ निर्माण कार्य पूर्ण होने के दस दिवस में सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति से कॉलम-3 के अनुसार प्रोत्साहन देने का प्रत्ताव अनुमोदित करवाया जाएगा • अनुमोदन के 5 दिवस में नाम व लोगो लिखवाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी। 	<ul style="list-style-type: none"> • कॉलम संख्या 2 में अंकित राशि से पूर्ण इकाई (निर्माण /परतु) होने की रिति में ही देय

1	2	3	4	5
3	शिक्षा श्री 1 लाख रुपये से अधिक व 15 लाख रुपये तक	<ul style="list-style-type: none"> • क.सं.-1 व 2 श्रेणी को देय प्रोत्साहन • शिक्षा विभाग राजस्थान की पत्रिका शिविरा के वार्षिकांक में प्रकाशन • प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में प्राप्त सहयोग राशि के आधार पर आगामी जिला स्तरीय मामाशाह सम्मान समारोह (प्रतिवर्ष 28 जून को आयोज्य) में सम्मानित किया जायेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> • क.सं.-1 व 2 की श्रेणी के अनुसार • ज्ञान संकल्प प्रकोष्ठ बीकानेर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल पर उपलब्ध सूचना एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर सूची तैयार की जावेगी एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से प्रस्ताव अनुमोदित करवाकर शिविरा में प्रकाशन की व्यवस्था की जावेगी। • ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग हेतु— ✓ जिला रांवीक्षा समिति चयन कर जिला आयोजन समिति को भेजेंगे। • विद्यालयों के द्वारा सीधे प्राप्त सहयोग हेतु— ✓ सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंखा पर जिला आयोजन समिति को भेजेंगे। 	

1	2	3	4	5
4	<p>शिक्षा भूषण 15 लाख रुपये से अधिक व 1 करोड़ रुपये तक</p>	<ul style="list-style-type: none"> क.सं.-1, 2 व 3 श्रेणी को देय प्रोत्साहन (जिला स्तर पर मामाशाह सम्मान को छाड़कर) <ul style="list-style-type: none"> ज्ञान संकल्प पोर्टल के "हॉल ऑफ फेम" पर दानदाता/ मामाशाह/औद्योगिक संस्थान का नाम प्रदर्शित करना। <ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक वित्तीय दर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में प्राप्त सहयोग राशि के आधार पर राज्य स्तर पर आयोजित मामाशाह सम्मान समारोह (प्रतिवर्ष 28 जून को आयोज्य) में सम्मानित किया जायेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> क.सं.-1, 2 व 3 की श्रेणी के अनुसार <ul style="list-style-type: none"> सी.एस.आर. प्रकोष्ठ रामाशिष जयपुर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल पर "हॉल ऑफ फेम" में नाम प्रदर्शन की व्यवस्था करवायेगा। <ul style="list-style-type: none"> ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग हेतु— <input checked="" type="checkbox"/> सीएसआर प्रकोष्ठ, मा. शि. नि. बीकानेर चयन कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनुमोदन पश्चात् नोडल एजेन्सी को भेजेंगे। <ul style="list-style-type: none"> विद्यालयों के द्वारा सीधे प्राप्त सहयोग हेतु— <input checked="" type="checkbox"/> सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा सहित सम्बन्धित निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर को प्रेषित करेंगे जो अनुशंसा सहित निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा। 	

1	2	3	4	5
5	शिक्षा विभूषण 1 करोड रुपये से अधिक	<ul style="list-style-type: none"> • क.सं.-1, 2, 3 व 4 श्रेणी को देय प्रोत्साहन (जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान को छोड़कर) • ज्ञान संकल्प पोर्टल के फेसबुक पेज पर कवर स्टोरी का प्रकाशन 	<ul style="list-style-type: none"> • क.सं.-1, 2, 3 व 4 की श्रेणी के अनुसार • सी.एस.आर. प्रकोष्ठ रामाशिंग जथपुर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के फेसबुक पेज पर कवर स्टोरी प्रदर्शन की व्यवस्था करवायेगा। 	



राजस्थान सरकार

प्रशासनिक भवान (अनुद.) विभाग

जालपुर दिनांक 30-3-2016

मानव प्रबल विभाग का बजट पोर्टफोली १०३ डी. पालना में

प्रदेश के तभी जिलों के एजेंटों परिवारों में शिक्षा की गुणवत्ता व सुधार एवं प्रशासी योजनाओं के लिए जिला स्तर सलाहकार समिति का गठन किया जाना है।

आदेश :-

१. समिति गठन

जिला स्तर सलाहकार समिति का मुख्य कार्य जिले में शिक्षा के स्तर को सुधारने से संबंधित अधिकारियों के संबंध व संवर्तन आयी करना; तथा गंभीर सरकार से अनुशोदन प्रश्नात्मक उसकी विवरणिति की समीक्षा करना। समिति में जिले में शिक्षा को अहमती दिक्कत के लिए विभिन्न विवरणों के बारे विवादित विषयों के लिए सरकारी सांघीय एवं प्रतिविधि, प्रतिविधि, और सरकारी विवरण के बारे विवादित विषयों के लिए सरकारी अधिकारी आदि को जानकारी लाने विषय का प्रतिविधि जारी करना।

अनुसार गठन किया जाता है।

क्रमी.	विवरण	माद
१.	प्रियोग कलेक्टर	अधिकारी
२.	संसाधन व्यापार संस्थान- (प्रियोग का अनुसार)	सदस्य
३.	जन्मान्तरिक गण- ३ (जिला विधानसभा सदस्य, जिला प्रभुत्व एवं एक प्रधान (जिले द्वारा संभवतः परिवर्त्तित होने वाले अनुसार)	सदस्य
४.	मुख्य कार्टकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
५.	जिला शिक्षा अधिकारी, नायामिक (प्रधान एवं द्वितीय)	सदस्य
६.	जिला शिक्षा अधिकारी, नायामिक (प्रधान एवं द्वितीय)	सदस्य सचिव
७.	प्रधानाधार्य डाक्टर	सदस्य
८.	अधिकारित जिला प्रारंभिक जानकारी समन्वयक, राजस्थान भाष्याभिक शिक्षा परिषद	सदस्य
९.	अधिकारित जिला विधानसभा समन्वयक, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद	सदस्य
१०.	अधिकारित, (न्यूनतम् २ सदस्य) (जिला कलेक्टर द्वारा नियोनीत)	सदस्य
११.	सिलिल साकार्यालय-२ (जिला कलेक्टर द्वारा नियोनीत)	सदस्य
१२.	शिक्षक एवं (न्यूनतम् १ जिसमें १ प्रधानाधार्य, १ स्टॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, १ प्रदर्शनाभासक उप्राधानिक विद्यालय दशा-४ अध्यापक हो) (जिला कलेक्टर द्वारा नियोनीत)	सदस्य
१३.	संवानिवृत्त राज्यप्रीय/राज्यवसरीय पुस्तकालय एक लिक्षक (जिला कलेक्टर द्वारा नियोनीत)	सदस्य
१४.	जिले में भवित परिणाम अधिकारी व सरकारी विद्यालय का व्यापाराधार्य (जिला कलेक्टर द्वारा नियोनीत)	सदस्य
१५.	संवर्धित जिले के व्यापाराधार्य-२ (जिला कलेक्टर द्वारा नियोनीत)	सदस्य
१६.	स्कूल शिक्षा से संबंधित विशेषज्ञ (संवानिवृत्त) (जिला कलेक्टर द्वारा नियोनीत)	विशेष आवान्वित

उक्त समिति में गैर सरकारी सदस्यों का कर्त्त्यकाल २ दर्वा का होगा। सदस्य सचिव द्वारा जिला स्तर सलाहकार समिति से संबंधित समस्त घट्यावधी भवितव्य की जाएगी।

२. उपरेक्षा

प्रारंभिक एवं नायामिक जिला विधाया के अन्तर्गत संसाधन राज्यप्रीय भाष्याभिक उप्राधानिक, भाष्याभिक एवं उप्राधानिक विद्यालयों में अध्ययनसत्र विद्यार्थियों को अनुग्रात्मक शिक्षा एवं उपत्यकालय हेतु अध्ययनपूर्व होने के विधानसभा में उपलब्ध कानूनीय एवं भौतिक संसाधनों का संपुर्ण

४८

उपरोक्त योग्य नियमों में विद्यालयों की प्रशासन के उनसार शीक्षक और छाड़ ईकान
प्रतिविधि का छाड़ और साथ ही प्रतिविधि के साथ संचारित कराये। जिससे बहुका को क्षमा
प्राप्त करने वाली रूपरेखा में इनके तिरंगे विद्यालयों का रूपरेखा निवास एवं भव्याकान
प्राप्त कर दिया गया। जिससे विद्यालयों के नामों की विविधता विद्यालयों ने अप्राप्ति के लिए प्रदर्शन
प्राप्त करने वाली रूपरेखा निवास को निवास एवं विद्यालय विद्यालय को
शीक्षक भूमि के बढ़ावा देने के लिए जिला सलाह देने वाला स्वाधार के लिए सलाह देने वाला स्वाधार
निर्माण हुआ जिला स्कूल सलाहकार सभित की स्थापना की जा रही है।

३. जिला सञ्चालन सभित का संचालन-

जिले स्कूल सलाहकार सभित को वित्तानिक एवं वार्षिक बैठकों आयोजित होती। शीक्षक प्रदर्शन
या शीक्षक और अध्यापक सभित का अधिनियम नियम, २०११ के बोधबानी की क्रियानियत
कराया जल्द हो।

सभित के लाभ-

- जिले में नियन्त्रक और विनियोग बालं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००७ तथा एजस्यान
नियन्त्रक और अध्यापक सभित का अधिनियम नियम, २०११ के बोधबानी की क्रियानियत
कराया जल्द हो।
- जिले में दिवार प्राइवेट स्कूलों के लिए कोस गिरीरेष के लिए जिला स्वारोग सभित द्वारा संचालन
हो।
- प्रारंभिक विद्यार्थी वृत्ति-परीक्षा के संचालन में सहयोग प्रदान रखता।
- जिले में विद्यालयों के विद्यालय सञ्चालन द्वारा योग्यता यजाता।
- जिले की विद्यार्थी विद्यालयों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्तर को जांच कर उन्हें सुधार हुए
विद्यालयों को योजना तैयार करना व इसकी नियन्त्रित समीक्षा कर सुधार के प्रयत्न किये
जाना।
- विद्यालयों के भावितक विकास हुए सप्त योजना तैयार कर भागीड़/जनत्रितनिधियों/
देशी/सांसद कोष/विधायक लोष द्वारा जिला परिषदों के साधारण संविधान करवाना।
- अध्यापकों के अध्यापन कार्य के संबंध में सताहकारी योजना नियम।
- अध्यापकों की विद्यालयों में सहाय पर उपरिधि प्रयोग उत्तराय सुनिश्चित रखना।
- साजिकाएँ विद्यालयों में बनायते हुए प्रवशोत्तम बनावटम सञ्चालित नहीं तथा
विद्यार्थियों को वर्ष बत ठहुसेन्हुए कोयोजना नियम करना।
- विद्यार्थियों में शैक्षिक उपलब्धियों शतप्रतिशत उपरिधि एवं प्रेरणा हुए आवश्यक कार्य करना।
- विद्यार्थियों में शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक गतिविधियों के विकास के लिए सलाह देना तथा ऐसे
प्रशिक्षण डेने वाले वालों तथा विद्यालय, भौतिकी एवं वादी प्रशिक्षण देने वाले अध्यापकों को
जिला स्वास्थ्य सेवा पुरुषों के लिए विद्यार्थी को योजना करना।
- विद्यालयों के इसमेप्रियता विकास हुए स्कूलों की वार्षिक सुनिश्चित फर्जना तथा विद्यालय एवं
सप्ताह के प्रारंभिक लक्षण भजनात करने हुए कार्ययोजना।
- विद्यालयों में विद्या के विज्ञानक सुधार एवं वीतक तरापनों की सुनिश्चितता हुए प्रभित
सभिताश्वास गरित करना।
- प्रतिवर्ष जिले की शैक्षिक योजना की संविधा तथा वार्षिक योधना के तथा ये प्राप्त हुए
सलाहकारी कार्य योजना देखार करना।
- जिले के भीतर अध्यापकों के विकास स्थानों को बनने के लिए सलाह देना।
- सर्व विद्या अधिकार एवं नालौदी वार्षिक विद्यालय विद्यालय विद्यालय एवं
विद्यालय के नियम देना। www.rajteachers.com

- जिले के स्कूलों में क्रयजल व्यवस्था, शीघ्रता एवं रद्दवाय एवं भवनों की ध्यानी सुनाई तथा लघु समिति का उचित लिए भागीदारी एवं उद्योगपतियों तथा सांसद कोष तथा विद्यायक कोष से राजस्थान के कर्मकार्यालय को अधिकारी प्रदान करना।
-
- 5. सम्प्रतिक्रिया की लियत विभाग राजस्थान सरकार के अधीन होना।
- 6. देशभक्ति विद्या का विषय।
गर. सरकार राजस्थान को मठों में सामाजिक विषय या दृष्टिविद्या और ज्ञानी का विषय आ दृष्टिविद्या विद्या परियोजना समन्वयक, सर्व विद्या अधिकारीन वाहन तथा अन्य जागरण।
- 7. वार्षिक रिपोर्ट—
समिति द्वारा प्रतिवर्ष गत वैज्ञानिक सत्र की वार्षिक रिपोर्ट माह सितम्बर तक राज्य सरकार को भेजती होती।

2. भाष्य
(राजस्थान संसदीय समिति)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सुनाई एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषित है:-

1. संघिव सुखायनी, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. विशेष खाहायक, नानालीय विद्या शाल्य संस्था (स्वतन्त्र प्रभाव) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्या विभाग।
3. माननीय लोक सभा संहिता शी.
4. माननीय विद्यालयों समिति अध्यक्ष।
5. संविधान विभाग प्रभाव अधीक्षी।
6. निजी संघिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
7. निजी संघिव प्रमुख शासन संचिव, पंचायती राज एवं शासी विकास विभाग।
8. निजी संघिव, शासन संघिव, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्या विभाग।
9. संयुक्त शासन संघिव, प्रारम्भिक विद्या (आयोजना)।
10. जास्तने उप संचिव, प्रारम्भिक विद्या/विद्या (मुम-1/6/6)।
11. आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक विद्या परिषद, जयपुर।
12. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक विद्या परिषद, जयपुर।
13. निदेशक, प्रारम्भिक विद्या राजस्थान, बीकानेर।
14. निदेशक, माध्यमिक विद्या राजस्थान, बीकानेर।
15. समस्त जिला कलकट्टर।
16. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
17. समस्त जिला विद्या अधिकारी, (प्रारम्भिक/माध्यमिक)(प्रथम/द्वितीय)।
18. समस्त प्रधानाचार्य, जिला विद्या एवं प्रशिक्षण संस्थान।
19. अधिकारीपाल, जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक विद्या परिषद।
20. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान प्रारम्भिक विद्या परिषद।
21. सम्बन्धित।
22. रहित, पन्नावली।

Amrit
(के.के.खण्डेलवाल)
अनुनाग अधिकारी

२१

परिषिठ्ठ का

जिला रक्षूल सलाहकार समिति में मनोनित माननीय लोकसभा सदस्यों की सूची:-

क्र. सं.	जिला	लोकसभा सदस्यों का नाम
1.	अजमेर	श्री सावरलाल जाट
2.	अलवर	महन्त चांदनाथ
3.	बासवाडा	श्री मानशंकर निनामा
4.	बीरा	श्री दुष्यंत सिंह
5.	बाउमेर	कर्नल सोनाराम
6.	भरतपुर	श्री बहादुर सिंह कोली
7.	भीलवाडा	श्री सुभाष यहेडिया
8.	बीकानेर	श्री अर्जुन मेघवाल
9.	बून्दी	श्री ओम विरता
10.	धित्तीडगढ़	श्री चन्द्र प्रकाश जोरी
11.	चुरू	श्री राहुल करवा
12.	दौसा	श्री हरीशचन्द्र मीणा
13.	धौलपुर	श्री मनोज राजोरिया
14.	झारसूर	श्री मानशंकर निनामा
15.	श्रीगंगानगर	श्री निहाल चन्द
16.	हनुमनगढ़	श्री निहाल चन्द
17.	जयपुर शहर	श्री रामचरण गोहरा
18.	जैसलमेर	कर्नल सोनाराम
19.	जालोर	श्री देवजी एम. पटेल
20.	झोलावाड़	श्री दुष्यंत सिंह
21.	झुन्झुनू	श्रीमती संताप अहलावत
22.	जोधपुर	श्री गजेन्द्र सिंह शुखावत
23.	करोली	श्री ननोज राजोरिया
24.	कोटा	श्री ओम विरला
25.	नागोर	श्री सी.आर. चौधरी
26.	पाली	श्री पी.पी. चौधरी
27.	प्रतापगढ़	श्री अर्जुनलाल मीणा
28.	राजसमन्द	श्री हरि ओम राठोड़
29.	सवाई माधोपुर	श्री सुखदीर सिंह जौनपुरिया
30.	सीकर	श्री सुमेधानन्द गरस्वती
31.	सिरोही	श्री निहाल चन्द
32.	टोक	श्री सुखदीर सिंह जौनपुरिया
33.	उदमपुर	श्री अर्जुनलाल मीणा

जिला स्कूल सलाहकार समिति में मनोनित माननीय विधान सभा सदस्यों की सूची:-

क्र. सं.	जिला	विधायक का नाम	विधान सभा सेत्र
1.	अजमेर	1.श्री भांगीरथ चौधरी 2.श्री शत्रुघ्न गौतम	किशनगढ़ केकड़ी
2.	अलवर	1.श्री जयराम जाटव 2.श्री ज्ञानदेव आहजा	अलवर ग्रामीण (अजा) समगढ़
3.	बांसवाडा	1.श्री धनसिंह रावत 2.श्री भीमा भाई	बांसवाडा (अजजा) कुशलगढ़ (अजजा)
4.	बारां	1.श्री ललीत मीणा 2.श्री रामधाल मेधवाल	किशनगढ़ (अजजा) बारां-अटल(अजा)
5.	बाढ़नेर	1.श्री कैलाश चौधरी 2.श्री लादूराम विश्वोई	बायूत गुदामलानी
6.	भरतपुर	1.श्रीमती अनिता 2.श्री विजय बंसल	नगर भरतपुर
7.	भीलवाडा	1.श्री बालसुभ चौधरी 2.श्रीमती कीर्ति कुमारी	सहाडा माण्डलगढ़
8.	बीकानेर	1.श्री विश्वनाथ 2.श्री गोपाल कृष्णा	खाजूयाला (अजा) बीकानेर-पाश्चयम
9.	बून्दी	1.श्री अशोक डोगरा	बून्दी
10.	चित्तोड़गढ़	1.श्री अर्जुन लाल जीनगर 2.श्री सुरेश धाकड़	कपासन (अजा) येग
11.	दुर्ल	1.श्री जयनारायण पूनियां 2.श्री खेमाराम	तारानगर सुजानगढ़(अजा)
12.	दोसा	1.श्रीमती अलका सिंह 2.श्री शंकर लाल शर्मा	बांदीकुर्ड दौसा
13.	धौलपुर	1.श्रीमती रानी रिलोटिया 2.श्री प्रद्युमन सिंह	जसेडी (अजा) राजाखेडा
14.	झौरापुर	1.श्रीमती अनिता कंटारा 2.श्री सुशील कंटारा	सागवाडा (अजजा) चौरासी (अजजा)
15.	हम्मानगढ़	1.श्री छृज्ञा कडवा 2.श्रीमती द्रष्टपती	सरारिया पीलीदंगा (अजा)
16.	जयपुर	1.श्री प्रेमचन्द वैरवा 2.श्री कैलाश दर्मा	टूटू (अजा) दगरू (अजा)
17.	जैसलमेर	1.श्री छोटू सिंह 2.श्री रोतान चिंठ	जैसलमेर पोषारण
18.	जालोर	1.श्रीमती अमृता घोषवाल 2.श्री पूर्सराम चौधरी	जालोर (अजा) भीनमाल
19.	जालवाडा	1.श्री रामचन्द 2.श्री नरेन्द्र नागर	उग (अजा) खानपुर
20.	जुन्डुनू	1.श्री सुन्दर लाल 2.श्री शुभकरण चौधरी	चिलानी (अजा) उदयपुरवाटी

21.	जोधपुर	1. श्री मनोहराम 2. श्रीमती कमला	फलौदी मोपालगढ़(अज्ञा)
22.	करौली	1. श्रीमती राजकुमारी 2. श्री दर्शन सिंह	हिण्डौन (अज्ञा) करौली
23.	कोटा	1. श्री हीरालाल नागर 2. श्री भवानी सिंह राजवत	सांगोद लाडपुरा
24.	नागौर	1. श्री मनोहर सिंह 2. डॉ मंजू बाधामार	लाडनूं जायदा(अज्ञा)
25.	पाली	1. श्री ज्ञानचन्द पारख 2. श्री केसाराम चौधरी	पाली मारवाड़ जंवशन
26.	प्रतापगढ़	1. श्री गौतमलाल	घरियावद(अज्ञा)
27.	राजसमन्द	1. श्री उरिसिंह रायत 2. श्री कल्याणसिंह योहान	भीम नाथद्वारा
28.	सवाई माधोपुर	1. श्रीमती राजकुमारी दियाकुमारी 2. श्री जितेन्द्र कुमार गोदयाल	सवाई माधोपुर खण्डार (अज्ञा)
29.	थीरमानगर	1. श्री गुरजांट सिंह 2. श्री राजेन्द्र सिंह भाद्र	भाटुलशहर सूरतगढ़
30.	सीकर	1. श्री गोरखन 2. श्री रतन लाल जलयारी	धोंड (अज्ञा) सीकर
31.	सिराही	1. श्री समाराम पासंसिया 2. श्री जगशीराम	षेण्डवाडा-आबू (अज्ञा) रेवलर (अज्ञा)
32.	टोक	1. श्री हीरालाल 2. श्री अजीत सिंह	निवाई (अज्ञा) टोक
33.	उदयपुर	1. श्री नाना लाल अहारी 2. श्री अमृतलाल	खेरद्वाडा(अज्ञा) सलूम्बर(अज्ञा)

र. ५३०५

www.rajteachers.com

जिला रकूल सलाहकार समिति में मनोनीत मानवीय जिला प्रमुख सदस्यों की सूची:-

क्र.सं.	जिला	जिला प्रमुख का नाम
1.	अजमेर	सुश्री चट्टना नौरिया
2.	बारां	श्री नन्दलाल सुमन
3.	भरतपुर	श्रीमती बीना
4.	भीलवाड़ा	श्री पीरचन्द्र सिध्दी
5.	चित्तौड़गढ़	श्रीमती लीला जाट
6.	चुरू	श्री हृष्णलाल सिंह साहरण
7.	धौलपुर	श्री वर्मपाल सिंह
8.	झंगरपुर	श्री माधवलाल बारहठ
9.	श्रीगंगानगर	श्रीमती प्रियंका
10.	हनुमानगढ़	श्री कृष्णकुमार
11.	जयपुर	श्री मूलचन्द्र मीणा
12.	जालौर	श्री दन सिंह
13.	जालवाड़ा	श्रीमती टीना कुमारी
14.	जोधपुर	श्री पूनराज
15.	याली	श्री प्रेमाराम
16.	प्रतापगढ़	श्रीमती सारिका
17.	राजसमन्द	श्री परवेश कुमार
18.	सीकर	सुश्री अपर्णी रोलन
19.	सिराही	श्रीमती पायल परसरामपुरिया
20.	टोक	श्री सत्यनारायण
21.	उदयपुर	ओ शातिलाल मेधवाल
22.	अलवर	श्रीमती रखा देवी
23.	बासवाड़ा	श्रीमती रेशम मानवीय
24.	बाढ़मेर	श्रीमती प्रियका
25.	बीकानेर	श्रीमती सुरेणीला
26.	बून्दी	श्रीमती सोनिया
27.	दौसा	श्रीमती गीता खटाणा
28.	जैसलमेर	श्रीमती अजेना
29.	झुन्झुनू	श्रीमती सुमन
30.	करोली	श्री अमरे कुमार
31.	कोटा	श्री चुरन्द
32.	नागौर	श्रीमती सुनिता
33.	सवाई माधोपुर	श्रीमती विनिता

र. भौत्ता

जिला स्कूल सलाहकार समिति में मनोनित माननीय प्रधानों की सूची:-

क्र. सं.	जिला	प्रधान का नाम	पंचायत समिति
1.	अजमेर	श्रीमती पूजा	केकड़ी
2.	अलवर	श्रीमती सीमा यादव	मुण्डावर
3.	बासवाडा	दूदाराम	बासवाडा
4.	बारां	श्रीमती मंजुबाई	अन्ता
5.	बाडमेर	श्री हरिसिंह	कल्याणपुर
6.	भरतपुर	श्रीमती गायत्री देवी	डीग
7.	भीलवाडा	श्री शिवजीराम मीणा	जहाजपुर
8.	बीकानेर	श्रीमती राधा	बीकानेर
9.	बून्दी	श्री प्रशान्त	केशोरायपाटन
10.	घिलोडगढ़	श्रीमती जसोदा मीणा	निम्बाहेडा
11.	चुरू	श्रीमती ज्योति	चुरू
12.	दोसा	श्रीमती रामकल्पी मीणा	लालसोट
13.	धौलपुर	श्री मीनेन्द्र	सौपल
14.	झूंगरपुर	श्री चिमनलाल	आसपुर
15.	श्रीगंगानगर	श्रीमती इन्दु शाम	राससिंहनगर
16.	हनुमानगढ़	श्रीमती संतोष	भादरा
17.	जयपुर	श्रीमती संतोष	दूदू
18.	जैसलमेर	श्रीमती उषा राठोड़	सम
19.	जालोर	श्री तव्यराम	साचार
20.	झालावाड़	सुश्री नारती बाई	झालरायपाटन
21.	झुन्झुनू	श्रीमती ननीता	खेतड़ी
22.	जोधपुर	श्री नीरज	लूपी
23.	करोली	श्रीमती इन्दु देवी जाटव	करोली
24.	कोटा	श्रीमती सावित्री	सावोद
25.	नागौर	श्रीमती दुर्गा	डेमान्डा
26.	पाली	श्रीमती शोभा	रायपुर
27.	प्रतापगढ़	श्री महावीर सिंह	छोटी सादडी
28.	राजसमन्द	श्रीमती शोभा पुरोहित	खेमनौर
29.	सवाई माधोपुर	श्री देवनारायण	चौथ का बरवाडा
30.	भीकर	श्रीमती सुनिता	फतेहपुर
31.	सिरोही	श्रीमती टीपू बाई	पिण्डवाडा
32.	टोक	श्रीमती शंकुनाला	देवली
33.	उदयपुर	श्री कन्हैयालाल मीणा	लसाडिया

र. भा०